

07/11/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि विवादित आराजी में प्रार्थी/वादी की ओर से खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वांछित अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी राहत प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्विष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्विष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते हैं।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालातरा


तारीख  
क्रमांक

### हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

लिहाजा पार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सांबित होने के कारण ग्राम  
असाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2075/1128,  
2133/1312 व 1312/1 भूमि की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की  
यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष को पाबंद किया  
जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर  
हो।

  
सहायक कमिश्नर  
(S.D.O.) बालोतरा